



F - 07 - 07

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1923/ Type Approval No. 1923

मद/FOR ITEM: जगुआर डैरिन- II एवं III वायुयान हेतु सोलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर

(एसएसएफडीआर) एमके- II, पार्ट सं.: जी ई 2000000

Solid State Flight Data Recorder (SSFDR) MK - II, Part No.: GE 2000000 for Jaguar DARIN - II & III Aircraft

यह प्रमाणित किया जाता है कि एसईआरडीसी, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, कोरवा, अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश - 227 412 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, कोरवा, अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश - 227 412, भारत द्वारा उत्पादित "डैरिन- II एवं III वायुयान हेतु सोलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एसएसएफडीआर)एमके - II" हेतु पार्ट सं.: जीई 2000000 [सम्मिलित फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट (एफडीएयू), पार्ट सं.: जीई 300 000 और डेटा रिकॉर्डर यूनिट (डीआरयू), पार्ट सं.: जीई 400 000] को एफडीएयू असेम्बली आरेखन सं.: जीई 300000-463 रिविजन सं./इश्यू सं.: 'ई', दिनांक 14 जनवरी 2015 और डीआरयू असेम्बली आरेखन सं.: जीई 400000-463 रिविजन सं./इश्यू सं.: 'डी', वर्जन 1.0, दिनांक 22 जनवरी 2016 के अनुसार जगुआर डैरिन- II एवं III वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (कोरवा), की रूपरेखाओं से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं.: जीई 2000000-234, इश्यू: 'एफ', दिनांक 16 अक्टूबर 2014 एवं क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर. एफडीएयू दस्तावेज सं.: जीई 300000-124, इश्यू: 'सी', दिनांक 13 दिसंबर 2013 तथा डीआरयू दस्तावेज सं.: जीई 400000-124, इश्यू: 'सी', दिनांक 13 दिसंबर 2013, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' एवं 'ए1' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Solid State Flight Data Recorder (SSFDR) MK - II for Darin II and III" bearing Part No.: GE 2000000 [consists of Flight Data Acquisition Unit (FDAU), Part No.: GE 300 000 & Data Recorder Unit (DRU), Part No.: GE 400 000] designed & developed ASRDC, M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, Korwa, Uttar Pradesh - 227 412 & manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, Korwa, District Amethi, Uttar Pradesh - 227 412, INDIA as per FDAU Assembly Drawing No.: GE 300000-463 Rev. No./Issue No.: 'E' dated: 14th January 2015 and DRU Assembly Drawing No.: GE 400000-463 Rev. No./Issue No.: 'D' ver.1.0 dated: 22nd January 2016 and for use in Jaguar DARIN - II and III aircraft. It has been tested as per Governing Technical Specification Doc No.: GE 2000000-234, Issue: 'F', dated: 16th October 2014 and Qualification Test Procedure FDAU Doc No.: GE 300000-124, Issue 'C', dated: 13th December 2013 and DRU Doc No. GE 400000-124, Issue: C, dated: 13th December 2013, as outlined by RCMA (Korwa). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A' & 'A1'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अबसेसील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आरसीएम ए (कोरवा), कोरवा- 227 412, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st January 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Korwa), Korwa – 227 412, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/ Encl : परिशिष्ट 'ए' एवं 'ए1'/Appendix 'A' & 'A1'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए./TA – 1923

दिनांक/Date : 15 February 2018

फैक्स सं./Fax No: 080 – 2523 0856

15/02/18
HR
15/2


पी जयपाल /P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)